भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 54
उत्तर देने की तारीख 25.11.2024

रिकार्ड का डिजिटलीकरण एवं संरक्षण

54. श्री तनुज पुनिया :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार के पास संग्रहित अभिलेखों की कुल संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अभिलेखों में से क्षतिग्रस्त, बहाल, डिजिटाइज्ड तथा अभी डिजिटाइज्ड किए जाने वाले अभिलेखों की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त अभिलेखों के संरक्षण के लिए विश्व स्तरीय तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है;

(घ) क्या इस संबंध में कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री
(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) : राष्ट्रीय अभिलेखागार (एनएआई), भारत सरकार के स्थायी महत्व के अभिलेखों का संरक्षक है। इसकी स्थापना 11 मार्च, 1891 को कोलकाता में इम्पीरियल रिकॉर्ड विभाग के रूप में की गई थी और यह दक्षिण एशिया के सबसे बड़े अभिलेखीय संग्रहों में से एक है। इसमें सार्वजनिक अभिलेखों का बहुत बड़ा संग्रह मौजूद है जिसमें फाइलें, पुस्तक खण्ड, मानचित्र, राष्ट्रपति से स्वीकृति प्राप्त विधेयक, संधियां, दुर्लभ पांडुलिपियां, प्राच्य अभिलेख, निजी कागजात, नक्शानवीसी अभिलेख, राजपत्र और भौगोलिकी संग्रह, जनगणना अभिलेख, विधानसभा और संसद के वाद-विवाद, प्रतिबंधित साहित्य, यात्रा वृत्तांत आदि सम्मिलित हैं।

राष्ट्रीय अभिलेखागार के संरक्षण में अभिलेखों के संग्रहों की कुल संख्या 34 करोड़ पृष्ठ (लगभग) है जिसमें विभिन्न मंत्रालयों, विभागों के अभिलेखों के साथ-साथ निजी और प्राच्य अभिलेखों के संग्रह भी शामिल हैं।

(ख): ऐसा अनुमान है कि अभिलेखों की 2.25 करोड़ (लगभग) शीटें अत्यंत भुरभुरे अभिलेख हैं और इन अभिलेखों की मरम्मत और जीर्णोद्धार के लिए अपेक्षित कार्य, मिशन मोड में एक बाह्य स्रोत एजेंसी के माध्यम से किया जा रहा है।

अब तक, एनएआई ने अभिलेखों के लगभग 5,50,58,949 पृष्ठ डिजिटलीकृत किए हैं और अभिलेखों के 28,49,41,031 पृष्ठ अभी डिजिटलीकृत किए जाने हैं।

(ग): राष्ट्रीय अभिलेखागार के संरक्षण के अंतर्गत अभिलेखीय रिकॉर्डों की मरम्मत और पुनरुद्धार के लिए विश्व भर में अपनाई जाने वाली निवारक, उपचारात्मक और जीर्णोद्धारक संरक्षण जैसी सभी अपेक्षित संरक्षण प्रक्रियाएं अपनाई जा रही हैं।

(घ) और (ङ): जी, हां। राष्ट्रीय अभिलेखागार के "अभिलेखीय अध्ययन विद्यालय" में अभ्यर्थियों को अभिलेखागार और अभिलेख प्रबंधन में एक वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम के अंतर्गत अभिलेखों की मरम्मत और पुनरुद्धार का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा अभिलेखों की सर्विसिंग और पुस्तकों, पांडुलिपियों और अभिलेखागार के संरक्षण संबंधी अल्पावधि पाठ्यक्रम भी संचालित किए जाते हैं। उपर्युक्त के अलावा, राष्ट्रीय अभिलेखागार ने कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के सहयोग से 900 अभ्यर्थियों को अभिलेखों के संरक्षण और परिरक्षण संबंधी प्रशिक्षण प्रदान किया है।

****